रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1475] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936
No. 1475] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2014

का.आ. 1835(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1988(अ), तारीख 27 अगस्त, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 अगस्त, 2011 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के, —

अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 1 के सामने कॉलम संख्या (4) में प्रविष्टि जिला ''सिद्धार्थ नगर'' के लिए कॉलम संख्या (2) में प्रविष्टि '' उप–जिलाधिकारी, सदर, नौगढ'' के स्थान पर प्रविष्टि ''विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सिद्धार्थ नगर'' प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. आरडब्लयू/एनएच–37014/19/2013/एनएचडीपी–IVA]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 1988(अ), तारीख 27 अगस्त, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में तारीख 27 अगस्त, 2011 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM TO NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2014

S.O. 1835(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1988(E), dated the 27th August, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th August, 2011, namely:—

In the said notification,—

In the Schedule to the said notification in front of serial no. (1) for "Sidharth Nagar" District entered at column no. (4), the entry in column no. (2) "Sub Divisional Magistrate, Sadar, Naugarh" shall be substituted by "Special Land Acquisition Officer, Sidharth Nagar".

[F. No. RW/NH-37014/19/2013-NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note : The principal notification was published *vide* S.O. 1988(E), dated 27th August, 2011 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 27th August, 2011.

2873 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.